कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 32 / 2015–16 / 49615 दिनांकः 24.01.2017

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की केन्द्रीय कारागृहों के बंदियान रसोईघरों के लिए बर्तन सैट एवं प्रेशर कूकर क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 25.01.2017 को सायं 6.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 25.01.2017 को सांय 6.00 बजे से दिनांक 13.02.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाइन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 13.02.2017 को सायं 3.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। **ई–बोली की क्वालीफाईड बिड दिनांक 14.02.2017 को दोपहर बाद 2.30 बजे खोली जावेगी।**

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http:// www.rajprisons.nic.in" अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल ("www.sppp.raj.nic.in) पर देख सकते है।

(डॉ. सुधाकर जौहरी)
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 32 / 2015–16 / 49616–21 दिनांकः 24.01.2017

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष / सदस्य.................................।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय / रेंज कार्यालय / मंड़ल कार्यालय।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 46(6) में विहित प्रावधानानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 15 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्ड़ार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली को एसपीपीपी एवं ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर